न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 43/2021 बउनवानी लखपत मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री गंगाराम मीना निवासी बिलोपा, पोस्ट डेकवा, तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/84 **On line Appeal No- 321275608058497**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.2.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. Status of application of sima gyan and removal of encroachment filed in SDM office whose dairy number 5237 date 24-11-2020 and as per SDM office information forwarded to your office on same day.
2. Ground of issuing notice to under section 91 of article rajasthan land revenue act 1956 with issuing number 966 dated 23-11-2020 and dispatched on dated 28-12-2020 with diary number 1900 and received on 28.12.2020 to lakhpat ram meena , copy of any detail report on which notice issued and number of people to whom notice issued except lakhpat ram meena and reason of delay of one month in issuing of notice and dispatching it.

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/एल.आर/सूकाअ/2021/4123 दिनांक 5.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2021 मे चाही गयी सूचना कुल 3 पृष्ठों (उपजिला कलेक्टर की डायरी कमांक 5237 का प्रा0पत्र एवं लखतराम मीना के विरूद्व की गयी धारा 91 की रिपोर्ट की प्रति) की तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1962दिनांक 31.3.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.2.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से प्राप्त पत्र डायरी कमांक 5237 पर सीमाज्ञान के संबंध में तहसीलदार द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट चाही गयी तथा बिन्दु संख्या 2 में धारा 91 का नोटिस जो दिनांक 23.11.2020 को जारी हुआ है किन्तु दिनांक 28.12.2020 को डिस्पेच किया गया है उक्त नोटिस को डिस्पेच किये जाने हुए विलम्ब के बारे मे अपीलान्ट द्वारा जानकारी [illegible] गयी है। किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1962 दिनांक [illegible] उक्त दोनो बिन्दुओं की सूचना समाहित नही है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनो बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे उपलब्ध करवाकर पालना भिजवावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर